न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/188/2017	20–11–2017	07–02–2018

01– इब्राहिम पुत्र भोंदू जाति मेव निवासी कारोली खालसा तहसील रामगढ़ जिला अलवर

अपीलाण्ट

बनाम

04– तहसीलदार, रामगढ जिला अलवर

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ
दिनांक 09.10.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 367/2017

OFFICE OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

उपस्थितः–

01–श्री देवेन्द्र कुमार जैन –वकील अपीलाण्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 09.10.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम कारोली खालसा की सरकारी बंजड़ प्रथम भूमी आराजी खसरा नम्बर 592 रकबा 1.67 है०, मे से 0.25 है० पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजि़स्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधिनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम कारोली खालसा की सरकारी बंजड़ प्रथम भूमी आराजी खसरा नम्बर 592 रकबा 1.67 है०, मे से 0.25 है० पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 30.08.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्मी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्मी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 15.03.2017 के विरूद्ध दिनांक 20.11.2017 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमनें अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट से अपीलार्थी का पश्चातवर्ति अतिक्मण साबित नहीं होता है। रिपोर्ट पटवारी हलका कारोली खालसा दिनांक 26.12.2017 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्मण नहीं होना बताया है। अतः अपीलं अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 07–02–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)
अलवर (राज०)